


25/18

निर्धारित दिनांक का उल्लंघन करने से भी
 प्रभावहीन तथा हानि। न्यायिक प्रक्रिया/प्रतिवादीगत
 स्थिति। पीछेकी उचितता के अर्थ कार्य में
 बाध है/ अर्थ पर है। प्रभावहीन मत आदेशानुसार
 दिनांक 17/5/18 का पता है

17/5/18

व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ाकत किया जाने
 में प्रयास है। व्यवस्था का उल्लंघन किया
 व्यवस्था के सम्बन्धित मूल बातें विचारित
 किन्तु जहाँ निर्धारित किन्तु जो फुल है इतना
 हकम के अर्थ को ही सुनिश्चित उपेक्षित नहीं है।
 इतना उपेक्षित हकम ही प्रयास कर लाने
 किन्तु जहाँ है।
 तबकील दायित्व इतना ही



[Handwritten signature]

उपखण्ड अधिकारी
 लखनऊ (सीकर)